

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रदत्त किए जा रहे सम्मति/प्राधिकरण पत्र सेवाओं के सम्बन्ध में सेवा प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय प्राधिकारी निम्न सारणीनुसार है:-

क्र. सं.	अधिनियम एवं सेवा का विवरण	सेवा प्रदान करने की समयावधि	पदाभिहित अधिकारी	सहायक पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय प्राधिकारी	विशेष टिप्पणी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अर्न्तगत प्राधिकार	90 दिन	अध्यक्ष	सदस्य सचिव एवं गुप प्रभारी	शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
			क्षेत्रीय अधिकारी	स. पर्या. अभि., वै., अधि., क. पर्या. अभि. एवं क., वै., अधि.	शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	

टिप्पणी:- समय सीमा आवेदक द्वारा अधिसूचित अधिनियमों एवं तदानुसार जारी नियमों एवं आदेशों के अनुसार पूर्ण आवेदन करने के पश्चात प्रारम्भ होती है।

13.06.2022  
विष्णु दत्त पुरोहित  
वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता

सदस्य सचिव  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल